# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) — जयपुर

1.पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 50/2018
3. उनवान :1. श्रीमती ज्ञानी देवी पत्नी चौथमल जाट, निवासी ग्राम डूंगरी, पचायत जोरपुरा (सुन्दरियावास), तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
2. जगदीश पुत्र चौथमल (मृतक)
2/1 किरण देवी पत्नी जगदीश
2/2 जेसमीन पुत्री जगदीश नाबालिग संरक्षिका माता किरण देवी
2/3 कृष्णा पुत्र जगदीश नाबालिग संरक्षिका माता किरण देवी
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम डूंगरी पंचायत जोरपुरा सुन्दरियावास हाल तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

—निगरानीकार

बनाम

ग्राम पंचायत जोरपुरा, (सुन्दरियावास) पंचायत समिति रेनवाल हाल जोबनेर जिला जयपुर।

—गैर निगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 14/08/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री बंशीधर जाट निगरानीकार की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद चौधरी गैर निगरानीकार की ओर से।

## निर्णय

### निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डूंगरी ग्राम पंचायत जोरपुरा में निगरानीकार के अलग–अलग दो भू–खण्डों हेतु निगरानीकार सं0 1 ने ग्राम पंचायत जोरपुरा में पट्टा हेतु आवेदन करने पर प्रस्ताव सं0 63 दिनांक 24/02/04 को पुराना कब्जा मानते हुए 266.66 वर्गगज का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया है, जिसके बाबत 13,438 रूपया ग्राम पंचायत में दिनांक 20.12.2004 जमा करवाये तथा गैर निगरानीकार सं0 2 द्वारा स्वयं की कब्जाशुदा भूमि 1244.44 के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं. 64 दिनांक 24.02.2004 को लिया जाकर मौका कमीश्नर नियुक्त कर, रिपोर्ट आने पर 23,438/—रूपया जमा करवाये गये। समस्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा देने के आदेश दिये गये, परंतु आज दिनांक तक पट्टा नहीं दिया गया। उसके उपरांत अप्राथी स. 1 द्वारा प्रार्थीगण को नोटिस बाबत अवैध रूप से ग्राम पंचायत को खसरा सं. 70 में आवंटित आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर व्यवसायिक दुकानों का निर्माण ग्राम पंचायत चुनावों के दौरान करने तथा पंचायत नोटिस पर कोई कार्यवाही नहीं कर अवैध अतिक्रमण यथावत रखने का दिया गया। निगरानीधीन नोटिस देने से पूर्व निगरानीकार को जवाब दस्तावेजात प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर नहीं दिया गया। ग्राम पंचायत के

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

अधीन आबादी भूमि गांव की जनता को बसावट आवास हेतु दी जानी चाहिये तथा जो व्यक्ति पूर्व से काबिज है, उन्हे नियमानुसार शुल्क लेकर पटटा जारी किया जाना चाहिये, न कि जबरन उन्हें बेदखल किया जावे। ग्राम पंचायत ने दिनांक 24.9.14 को यह लिखित में दिया कि पूर्व में लिया गया प्रस्ताव के अनुसार राशि जमा हो चुकी है तथा उसमें पंचायत कोई हस्तक्षेप नही करेगी। उक्त ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व मे भी प्रार्थीगण को निर्माण हेतु अनुमति दी गई थी, उसी भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अप्राथी संख्या. 1 के द्वारा जारी नोटिस क्रमांक ग्रापजो/2014–15/89 दिनांक 16.02.2015 की कार्यवाही समाप्त की जाकर प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जावें।

निगरानीकार ने निगरानी के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्रा.पं. जोरपुरा के निर्माण स्वीकृती की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार रेनवाल की सीमाज्ञान रिपोर्ट, पंच कमीश्नर की रिपोर्ट, बैठक कार्यवाही विवरण, ग्रा.प. का जवाब नोटिस की प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकारान जारी किये गये। गैर निगरानीकार सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद चौधरी उपस्थित हुए।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया है कि ग्राम डूंगरी ग्राम पंचायत जोरपुरा में निगरानीकार के अलग–अलग दो भू–खण्डों हेतु निगरानीकार सं0 1 ने ग्राम पंचायत जोरपुरा में पट्टा हेतु आवेदन करने पर प्रस्ताव सं0 63 दि. 24/02/04 को पुराना कब्जा मानते हुए 266.66 वर्गगज का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया है, जिसके बाबत 13,438 रूपया ग्राम पंचायत में दिनांक 20.12.2004 जमा करवाये तथा गैर निगरानीकार सं0 2 द्वारा स्वयं की कब्जाशुदा भूमि 1244.44 के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं. 64 दिनांक 24.02.2004 को लिया जाकर मौका कमीश्नर नियुक्त कर, रिपोर्ट आने पर 23,438/–रूपया जमा करवाये गये। समस्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा देने के आदेश दिये गये, परंतु आज दिनांक तक पट्टा नहीं दिया गया। उसके उपरांत अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थीगण को नोटिस बाबत अवैध रूप से ग्राम पंचायत को खसरा सं. 70 में आवंटित आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर व्यवसायिक दुकानों का निर्माण ग्राम पंचायत चुनावों के दौरान करने तथा पंचायत नोटिस पर कोई कार्यवाही नहीं कर अवैध अतिक्रमण यथावत रखने का दिया गया। निगरानीधीन नोटिस देने से पूर्व निगरानीकार को जवाब दस्तावेजात प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर नहीं दिया गया। ग्राम पंचायत के अधीन आबादी भूमि गांव की जनता को बसावट आवास हेतु दी जानी चाहिये तथा जो व्यक्ति पूर्व से काबिज है, उन्हे नियमानुसार शुल्क लेकर पटटा जारी किया जाना चाहिये, न कि जबरन उन्हें बेदखल किया जावे। पूर्व में भी दिनांक 17–09–2014 को ग्राम पंचायत को एक नोटिस निगरानीकार द्वारा दिया गया था। नोटिस प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत द्वारा जवाब दिया गया था कि भूमि पर निगरानीकार का कब्जा काश्त है तथा वह मालिक की हैसियत से उपयोग उपभोग कर सकते है। ग्राम पंचायत कोई दखल नही करेगी। एक बार उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने के बाद पुनः भूखण्ड कब्जेधारी को बेदखल बाबत नोटिस नही दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा जो बेदखली का नोटिस निगरानीकार को दिया गया है, वह अपने ही तथ्यों के विरोधाभाषी है।



कलक्टर

अन्त में निगरानीकार के हित में ग्राम पंचायत जोरपुरा सुन्दरियावास द्वारा जारी नोटिस की कार्यवाही ड्रोप की जाकर निगरानीकार के हित में पट्टा जारी करने का निवेदन किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया है कि निगरानीकार ज्ञानी देवी द्वारा प्रस्ताव संख्या 63 दिनांक 24.02.2004 को पुराना कब्जा मानते हुए 266–66 वर्ग गज के बाबत 13438 रुपये ग्राम पंचायत में दिनांक 20/12/2004 एवं निगरानीकार संख्या 2 जगदीश पुत्र चोथमल के कब्जे की भूमि 1244.44 वर्गगज के बाबत प्रस्ताव संख्या 64 दिनांक 24.02.2004 के बाबत 23,438 रुपये की राशि का जमा कराना पूर्व सरपंच की मिलीभगत से गई थी, क्योंकि आबादी एवं चरागाह की सीमा का विवाद था तथा निगरानीकार का कब्जा ख0नं0 70 रकबा 17 बिस्वा गै० मु० चारागाह पर एक अतिक्रमी के रूप में था तथा उसके सींव जोड़ ख0नं0 71 स्वयं निगरानीकार ज्ञानी देवी के पति एवं निगरानीकार जगदीश के पिता चोथमल के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि, जिसका रकबा 17 बिस्वा था, उसके समीप ख0 नं0 70 चरागाह भूमि पर निगरानीकारों का कब्जा एवं अतिक्रमी (ट्रेस पासर) के रूप में था, जिस पर तहसीलदार किशनगढ़– रेनवाल के आदेशानुसार उक्त भूमि ख0 नं0 69/1 व चरागाह भूमि ख0 नं0 71 रकबा 17 बिस्वा थी। जिसका ग्राम पंचायत को पट्टा देने एवं राशि जमा का कोई वैधानिक अधिकारी नहीं रहा है। केवल मात्र प्रस्ताव लेने एवं राशि जमा कराने से निगरानीकारों को पट्टा लेने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। राज0 पंचायत (जनरल) रूल 1961 के तहत आबादी भूमि के विक्रय के नियम 255 से लेकर 269 की पालना करने का मेन्डेटरी प्रावधान है, उसकी पालना नहीं की जाकर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 63 व 64 दिनांक 24/02/2004 के अनुसार निगरानीकार के हक में नियमानुसार कार्यवाही होकर पट्टा जारी नहीं हुआ है क्योंकि निगरानीकार की कब्जेशुदा भूमि आबादी में नहीं होकर चरागाह भूमि रही है तथा सर्वप्रथम विवाद चरागाह एवं आबादी भूमि की सीमायें तय होने के पश्चात ग्राम पंचायत को मात्र आबादी भूमि का पट्टा देने का नियमानुसार एवं प्रदत्त नियमों के तहत ही पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत ने निगरानीकारों को नोटिस जारी किया। उसका निगरानीकारों की ओर से जबाव पेश किया जा चुका है तथा आबादी व चरागाह की सीमांकन के बाद ही सम्पूर्ण कार्यवाही की जानी चाहिये। उक्त नोटिसों के विरुद्ध निगरानीकारों ने सिविल न्यायालयों में स्थगन/वाद की कार्यवाही की, परंतु स्थगन नहीं मिलने से इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है। जबकि उक्त नोटिस के विरुद्ध धारा 97 पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत केवल ग्राम पंचायत के अंतिम निर्णयों एवं आदेशों के विरुद्ध ही निगरानी का प्रावधान है। उक्त नोटिस ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच की विभागीय जाँच के पश्चात विकास अधिकारी पं.स. सांभर द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना के विरुद्ध जारी किया है। निगरानीकारों का कब्जा आबादी भूमि में नहीं होकर ख0 नं0 71 गै०मु० चरागाह में हो तो कब्जेधारी को चरगाह भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा दिये जाने के कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। प्रकरण में वास्तविक विवाद आबादी व चरागाह भूमि की सीमाज्ञान से ही संभव है।

अन्त में निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाते हुए दोनों पक्षों को पहले आबादी व चरागाह भूमियों का सीमांकन नियमानुसार करवाने के पश्चात ही ग्राम पंचायत को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश ग्राम पंचायत के हित में एवं लोकहित में निर्णय पारित किया जाने का निवेदन किया गया है।

कलक्टर
जयपुर

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस 2014–15/89 दिनांक 16/2/15 को जारी किया गया है जबकि ग्राम पंचायत प्रस्ताव 01 दिनांक 3/3/2015 को लिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 63 दिनांक 24/2/2004 के अनुसरण में 20/12/2004 को 13438/– रुपये तथा प्रस्ताव संख्या 64 दिनांक 24/2/2004 के अनुसरण में 23,438/– रुपये राशि जमा करवाई। उक्त राशि पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के एवज में जमा करवाई थी, परन्तु पट्टा जारी नहीं किया गया। यह ग्राम पंचायत का दायित्व था कि वो नियमानुसार पट्टा प्रकरण का निस्तारण करें। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रस्तावों के पट्टा प्रकरण का अंतिम निस्तारण/निर्णय कर दिया गया था, ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। प्रार्थी को प्रस्ताव संख्या 63 व 64 की पालना में पट्टा जारी किया जाना है या उक्त प्रस्तावों को खारिज किया जाना है? प्रस्ताव संख्या 63 व 64 की पालना में जमा राशि प्रार्थीगण को लौटाई जानी है या जमा रखनी है या जब्त करनी है? प्रश्नगत भूमि की प्रकृति क्या है? प्रश्नगत भूमि पर किसका कब्जा है?

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए जांच कर निर्णय पारित कर कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त बिन्दुओं/प्रश्नो को अनुत्तरित छोड़ते हुए दिनांक 16/2/15 को जारी नोटिस 2014–15/89 की कार्यवाही न्यायसंगत नहीं है। ग्राम पंचायत प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिक प्रक्रिया की पालना कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत जोरपुरा (सुन्दरियावास) द्वारा जारी नोटिस क्रमाक ग्रापजो/2014–15/89 दिनांक 16/2/2015 की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर